



राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक :- प.32(1)ज0सं0/2014पार्ट

दिनांक : 27 NOV 2015

संशोधित अधिसूचना

जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) एवं धारा 19(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालयों के लिए क्रमशः लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित किये जाने के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक प.32 (1)ज0सं0/2014 पार्ट दिनांक 09.09.2015 के क्रम संख्या 8 में आंशिक संशोधन करते हुए लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक कृते अतिरिक्त मुख्य अभियंता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के स्थान पर अधिशाषी अभियंता (कार्य) वास्ते मुख्य अभियंता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर पढा जावें।

XEN (M-2)
30/11/15
0823
30/11/15

आज्ञा से,

हृद

(नेम चन्द वर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, राज. समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. शासन सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को मय 7 अतिरिक्त प्रतियों के प्रमुख समाचार प्रकाशनार्थ।
9. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त संबंधितों को प्रतियां प्रेषित करने की व्यवस्था करें।
10. समस्त मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग।
11. शासन सचिवालय स्थित सूचना पट्ट।
12. गार्ड फाईल।

RTE cell
2
30/11

30/11/15

वरिष्ठ शासन उप सचिव
जल संसाधन विभाग